पत्र संख्या-स्था0-1 सामान्य स्थानान्तरण -2019-20// 954 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना-राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 04 जून 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

आदेश संख्या–5377 दिनांक–01.03.2019 द्वारा वर्ष 2018-19 में विभागीय अधिकारियो के स्थानान्तरण किये गये थे ।तत्तसमय आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं कुछ अधिकारियो की चुनाव डयूटी लगने के कारण वे सम्भव स्थानान्तरित पद पर कार्यभार ग्रहण नही कर पाये थे । वर्तमान समय में आर्दश आचार संहिता समाप्त हो गयी है यदि आपके जोन में अभी तक कोई स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा अपनी मूल तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण / कार्यमुक्त नही किया गया है तो तत्काल कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हुए दिनांक-06-06-2019 तक ऑनलाइन / ऑफलाइन की सूचना सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

कमिश्नर, वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में जारी अधिकारियो के सम्बद्वीकरण आदेशों को भी निरस्त किया गया है, यदि सम्बद्वीकरण निरस्त किये जाने के उपरान्त भी अधिकारियो द्वारा अभी तक अपने मूल पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया है तो उन्हें भी तत्काल कार्यमुक्त करते हुए उनके मूल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करते हुए सूचना मुख्यालय पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 06-06-2019 तक प्रत्येक दशा में सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

4.6.2019

(यशु रुस्तगी)
एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।